आरईसी लिमिटेड की संबंधित पक्ष लेनदेनों की भौतिकता और उनके संचालन संबंधी नीति

[सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम,
2015 के अनुसार]

आरईसी लिमिटेड की संबंधित पक्ष लेनदेनों की भौतिकता और उनके संचालन संबंधी नीति

I. परिचय

इस नीति को आरईसी लिमिटेड की 'संबंधित पक्ष लेनदेन की भौतिकता और संबंधित पक्ष लेनदेन से निपटने की नीति' कहा जाएगा। यह नीति सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("सूचीबद्धता विनियम") और समय-समय पर सेबी द्वारा जारी दिशानिर्देशों /परिपत्रों की आवश्यकता के अनुसार तैयार की गई है।

II. प्रयोज्यता

यह नीति सभी संबंधित पक्षकारों के लेनदेन पर लागू होगी और संबंधित मामलों के निष्पादन का प्रबंधन करेगी ।

III. उद्देश्य

इस नीति का उद्देश्य कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर (डीपीई दिशानिर्देशों), सूचीबद्धता विनियम और इस संबंध में वर्तमान में लागू किसी भी अन्य वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन में, संबंधित पक्षकारों के लेनदेन (आरपीटी) के उचित अनुमोदन और रिपोर्टिंग को सुनिश्चित करना है। यह नीति संबंधित पक्षकारों के लेनदेन की भौतिकता निर्धारित करने के मानदंड भी प्रदान करती है।

यह नीति कंपनी की अन्य नीतियों और प्रथाओं/अधिकारों के प्रत्यायोजन /अधिकार नियमावली आदि की पूरक होगी, जिनमें अनुबंधों या व्यवस्थाओं के लिए एक निर्दिष्ट तरीके से और निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता होती है। यदि कई प्रथाओं और विनियमों के लागू होने के कारण आवश्यकताओं के एक से अधिक सेट मौजूद हैं, तो प्रयास अनुपालन सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए, जो उच्च शासन मानकों को पूरा करता हो।

IV. परिभाषाएं

1. **अधिनियम** का अर्थ है कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियम

2. **आर्म्स लेंथ ट्रांजेक्शन** का अर्थ दो संबंधित पक्षों के बीच होने वाला वह लेन-देन है जिसे इस तरह संचालित किया जाता है जैसे कि वे एक-दूसरे से संबंधित न हों, ताकि हितों का कोई टकराव न हो, जैसा कि अधिनियम की धारा 188 (1) के स्पष्टीकरण (ख) में परिभाषित किया गया है।

3. **सहयोगी कंपनी अधिनियम** की धारा 2(6) में परिभाषित की जाएगी।

4. **बोर्ड** का तात्पर्य आरईसी लिमिटेड के निदेशक मंडल से है।

5. **कंपनी/आरईसी** का तात्पर्य आरईसी लिमिटेड है।

6. **सरकारी कंपनी** अधिनियम की धारा 2(45) में परिभाषित की जाएगी।

7. **मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक** (केएमपी) अधिनियम की धारा 2(51) में परिभाषित किया जाएगा ।

8. **भौतिक संशोधन** का अर्थ मौजूदा संबंधित पक्ष लेनदेन के मूल्य में संशोधन है, जिसका मूल अनुबंध के मूल्य में 30% या 100 करोड़ रुपये, जो भी कम हो, परिवर्तन का प्रभाव होता है।

9. **संबंधित पक्ष** से तात्पर्य ऐसे संबंधित पक्ष से है जिसे अधिनियम की धारा 2(76), या लागू लेखांकन मानकों, या सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 2(1) (जेडबी) के तहत परिभाषित किया गया है ।

10. **संबंधित पक्ष लेनदेन** से तात्पर्य उस लेनदेन से है जैसा कि सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 2(1) (जेडसी) या अधिनियम के तहत परिभाषित किया गया है।

11. **संबंधित** का अर्थ वही होगा जो अधिनियम की धारा 2(77) और कंपनी (परिभाषा विवरण विनिर्देश) नियम, 2014 के नियम 4 के साथ पढ़ा जाए, या जो सूचीबद्धता के तहत परिभाषित किया गया हो।

12. **सहायक कंपनी** अधिनियम की धारा 2(87) या सूचीबद्धता विनियमों के तहत परिभाषित की जाएगी।

13. **भौतिक संबंधित पक्ष लेनदेन** का अर्थ किसी संबंधित पक्ष के साथ किया गया वह लेनदेन है, जिसे तब भौतिक माना जाएगा यदि एक वित्तीय वर्ष के दौरान व्यक्तिगत रूप से या पिछले लेनदेनों के साथ मिलाकर किया जाने वाला लेनदेन, नीचे बताए गए या समय-समय पर संशोधित सूचीबद्धता विनियमों की अनुसूची XII में निर्दिष्ट सीमाओं से अधिक हो जाता है:

क्र.सं.	कंपनी का समेकित कारोबार	सीमा
1.	20,000 करोड़ रुपये तक	कंपनी के वार्षिक समेकित कारोबार का 10%.
2.	20,000 करोड़ से अधिक और ₹40,000 करोड़ तक	2,000 करोड़ रुपये + 20,000 करोड़ रुपये से अधिक के कंपनी के वार्षिक समेकित कारोबार का 5%।
3.	₹40,000 करोड़ से अधिक	₹3,000 करोड़ + ₹40,000 करोड़ या ₹5,000 करोड़ से अधिक कंपनी के वार्षिक समेकित कारोबार का 2.5%, जो भी कम हो।

स्पष्टीकरण: ऊपर बताए गए सीमाओं की गणना के प्रयोजन के लिए, सूचीबद्ध इकाई का वार्षिक समेकित कारोबार कंपनी के अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

उपरोक्त के बावजूद, बॉण्ड उपयोग या रॉयल्टी के संबंध में किसी संबंधित पक्ष को किए गए भुगतान से जुड़े लेनदेन को तब 'महत्वपूर्ण' माना जाएगा, यदि एक वित्तीय वर्ष के दौरान व्यक्तिगत रूप से या पिछले लेनदेनों के साथ मिलाकर किया जाने वाला लेनदेन, कंपनी के पिछले लेखापरीक्षित किए गए वित्तीय विवरणों के अनुसार वार्षिक समेकित कारोबार के पांच प्रतिशत (5%) से अधिक हो

14. **उद्योग मानक** का अर्थ है "संबंधित पक्ष लेनदेन के अनुमोदन के लिए लेखा परीक्षा समिति और शेयरधारकों को प्रदान की जाने वाली न्यूनतम जानकारी" पर उद्योग मानक जो सेबी द्वारा दिनांक 14 फरवरी, 2025 के अपने परिपत्र द्वारा अधिसूचित किया गया है या समय-समय पर संशोधित किया गया है।

15. **सामान्य व्यवसाय के पाठ्यक्रम** में उन गतिविधियों के लिए एक अवधि शामिल है जो व्यवसाय के लिए आवश्यक, सामान्य और आकस्मिक हैं। ये वाणिज्यिक लेनदेन की सामान्य प्रथाएं और रीति-रिवाज हैं। कानून में, व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में किसी व्यवसाय और किसी फर्म के सामान्य लेनदेन, रीति-रिवाज और प्रथाएं शामिल हैं। व्यवसाय के सामान्य क्रम' को निर्धारित करने के लिए सांकेतिक कारक निम्नलिखित हैं:

(क) विशिष्ट व्यवसाय के लिए सामान्य या अन्यथा उल्लेखनीय है (जैसे कि सिस्टम की विशेषताएं, प्रक्रियाएं, विज्ञापन, कर्मचारियों का प्रशिक्षण, आदि

(ख) बार-बार और नियमित रूप से होने वाला है

(ग) इसमें बड़ी मात्रा में धनराशि शामिल है

(घ) आपके व्यवसाय के लिए आय का एक स्रोत है

(ङ) इसमें संसाधनों का महत्वपूर्ण आवंटन शामिल है

(च) ऐसी सेवा या उत्पाद से संबंधित है जो ग्राहकों को प्रदान किया जाता है

उपरोक्त सूची सांकेतिक है, और कंपनी अपने प्रकार और प्रकृति के आधार पर प्रत्येक लेनदेन का आकलन करेगी।

16. **"लाभ का पद या स्थान"** का अर्थ वही होगा जैसा कि अधिनियम में परिभाषित या स्पष्ट किया गया है।

इस नीति में प्रयुक्त सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों का, जब तक कि यहां परिभाषित न किया गया हो, अर्थ क्रमशः अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों, उसके तहत अधिसूचनाएं और परिपत्र जारी किए गए, सूचीबद्धता विनियम और समय-समय पर संशोधित किए गए लागू लेखांकन मानकों के तहत सौंपा गया है।

V. संबंधित पक्ष लेनदेनों का निपटान

कंपनी निम्नलिखित की पूर्व स्वीकृति लेने के बाद ही किसी भी संबंधित पक्ष लेनदेन में प्रवेश करेगी, यदि कोई हो, तो किसी भी कानून के तहत जो समय-समय पर लागू है:

i. **लेखापरीक्षा समिति:** सभी संबंधित पक्ष लेनदेन और बाद के संशोधनों के लिए लेखापरीक्षा समिति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होगी, या तो परिसंचरण द्वारा या बैठक में। केवल वे लेखापरीक्षा समिति के सदस्य, जो स्वतंत्र निदेशक हैं, संबंधित पक्ष लेनदेन को मंजूरी देंगे। इसके अलावा, लेखापरीक्षा समिति को कम से कम वार्षिक आधार पर दीर्घकालिक (एक वर्ष से अधिक) या आवर्ती आरपीटी की स्थिति की भी समीक्षा करनी चाहिए

ii. एक करोड़ रुपये से अधिक का कोई संबंधित पक्ष लेन-देन, चाहे वह अलग-अलग किया गया हो या किसी वित्तीय वर्ष के दौरान पिछले लेन-देन के साथ लिया गया हो, जिसमें आरईसी की सहायक कंपनी एक पक्ष है, लेकिन आरईसी एक पक्ष नहीं है, तो आरईसी की लेखा परीक्षा समिति की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होगी, यदि ऐसे लेनदेन का मूल्य, निम्नलिखित में से जो भी कम हो उससे अधिक हो:

क) वित्तीय लेखा परीक्षा वाली सहायक कंपनी के लिए:

(i) 10% सहायक कंपनी के अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार सहायक कंपनी के वार्षिक स्टैंडअलोन कारोबार का 10%; या

(ii) आरईसी के सामग्री से संबंधित पक्ष लेनदेन के लिए सीमा

ख) सहायक कंपनी के लिए, जिसके पास कम से कम 1 वर्ष की अवधि के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण नहीं हैं:

(i) सहायक कंपनी के चुकता शेयर पूंजी और प्रतिभूति प्रीमियम खाते के कुल मूल्य का 10%; या

(ii) आरईसी के संबंधित पक्ष के साथ भौतिक लेनेदेन की सीमा।

उपर्युक्त प्रयोजन के लिए, सहायक कंपनी के चुकता शेयर पूंजी और प्रतिभूति प्रीमियम खाते का कुल मूल्य एक तारीख के अनुसार लिया जाएगा, यह तारीख लेखापरीक्षा समिति से मंज़ूरी लेने की तारीख से तीन महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए।

जब भी उपरोक्त निर्धारित सीमा शुरू की जाती है, तो लेखा परीक्षा समिति, निदेशक मंडल और आरईसी के शेयरधारकों को अनुमोदन के लिए प्रकटीकरण, जैसा भी मामला हो, इस नीति के प्रावधानों और लागू सीमा तक लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। आरईसी की लेखा परीक्षा समिति की पूर्व स्वीकृति उस आरपीटी के लिए आवश्यक नहीं होगी जिसमें उसकी सूचीबद्ध सहायक कंपनी एक पक्ष है, लेकिन आरईसी एक पक्ष नहीं है, यदि सूचीबद्धता विनियमन के नियम 23 और 15 (2) ऐसी सूचीबद्ध सहायक कंपनी पर लागू होते हैं।

iii. लेखापरीक्षा समिति इस नीति के अनुरूप, कंपनी या उसकी सहायक कंपनी द्वारा किए जाने वाले प्रस्तावित संबंधित पक्ष लेन-देन के लिए निम्नलिखित शर्तों/मानदंडों के अधीन सर्वव्यापी अनुमोदन भी प्रदान कर सकती है:

क) सर्वग्राही अनुमोदन प्रदान करने के लिए लेखापरीक्षा समिति के निदेशकों द्वारा विचार किए जाने वाले मानदंडों में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. लेखापरीक्षा समिति सर्वग्राही अनुमोदन की जरुरत से अपनी संतुष्टि करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह के अनुमोदन कंपनी के हित में होते है।
ii. सर्वग्राही अनुमोदन उन लेन-देन के संबंध में लागू होगा जो लगातार/नियमित/पुनरावृति प्रकृति के हैं;
iii. लेन-देन का अधिकतम कुल मूल्य जिसे एक वर्ष में सर्वव्यापी मार्ग (ओमनीबस रूट) के तहत अनुमोदित किया जा सकता है, जो पिछले वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के कारोबार के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा;
iv. प्रति लेन-देन अधिकतम मूल्य जिसकी अनुमति दी जा सकती है, तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के कारोबार के दो प्रतिशत से अधिक नहीं होगी;
v. लेन-देन सामान्य व्यावसायिक गतिविधियों (ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस) के अंतर्गत किए जाने का प्रस्ताव है। किसी प्रस्ताव का मूल्यांकन करते समय, लेखापरीक्षा समिति प्रबंधन से औचित्य/दस्तावेज मांग सकती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि लेन-देन व्यवसाय के सामान्य गतिविधियों में है और आर्म लेंग्थ पर है या नहीं।

vi. लेखा परीक्षा समिति दिए गए प्रत्येक सर्वग्राही अनुमोदन के अनुसार कंपनी द्वारा की गई संबंधित पक्ष का लेन-देन के विवरणों की समीक्षा कम से कम तिमाही आधार पर करेगी।

vii. लेखापरीक्षा समिति द्वारा सर्वग्राही अनुमोदन निम्नलिखित लेन-देन के लिए लागू नहीं होगा, जिसमें शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं :-

- किसी संबंधित पक्ष को सावधि ऋण प्रदान करना;
- चल या अचल संपत्ति की बिक्री या खरीद;
- किसी संबंधित पक्ष में शेयरों की खरीद या बिक्री;
- कंपनी के उपक्रम की बिक्री या निपटान; या
- कोई अन्य लेन-देन जैसा कि लेखापरीक्षा समिति आवश्यक समझती है, सर्वग्राही अनुमोदन के दायरे से बाहर है।

ख) ऐसे सर्वग्राही अनुमोदन निम्नलिखित स्पष्ट करेंगे :-

i. संबंधित पक्ष का नाम, लेन-देन की प्रवृति और अवधि, लेन-देन की अधिकतम राशि जो एक वर्ष में कुल मिलाकर की जा सकती है, प्रति लेन-देन की अधिकतम मूल्य जिसकी अनुमति है।

ii. सांकेतिक आधार मूल्य / वर्तमान अनुबंधित मूल्य और मूल्य में परिवर्तन के लिए सूत्र, यदि कोई हो, और

iii. ऐसी अन्य शर्तें जो लेखापरीक्षा समिति उचित समझे।

तथापि, संबंधी पक्ष के लिए लेन-देन की आवश्यकता पहले से अनुमानित नहीं की जा सकती है और जिनके उपरोक्त विवरण उपलब्ध नहीं हैं, लेखा परीक्षा समिति ऐसे लेन-देन के विषय में जिनका लेन-देन 1 करोड़ रुपए प्रति लेन-देन मूल्य से ज्यादा है सर्वग्राही अनुमोदन दे सकती है।

ग) ऐसे सर्वग्राही अनुमोदन एक अवधि के लिए वैध होगा जो एक वित्तीय वर्ष के अधिक नहीं होगी तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद नए अनुमोदन जारी करने होंगे।

अधिनियम की धारा 188 में निर्दिष्ट लेन-देन के अलावा किसी भी लेन-देन के मामले में और जहां लेखा परीक्षा समिति लेन-देन को मंजूरी नहीं देती है, वह बोर्ड को अपनी सिफारिशें देगी।

<u>लेखापरीक्षा समिति के अनुमोदन से छूट:</u>

अधिनियम की धारा 177 और सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 23(5) के प्रावधानों के अनुसार, लेखापरीक्षा समिति के अनुमोदन की आवश्यकता अधिनियम की धारा 188 में निर्दिष्ट लेनदेन के अलावा, आरईसी और इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (कंपनी) के बीच लेन-देन पर लागू नहीं होगी, जिनके खातों को आरईसी के खातों के साथ समेकित किया जाता है और अनुमोदन के लिए आम बैठक में शेयरधारकों के समक्ष रखा जाता है.

iv. **निदेशक मंडल:** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 (1) के अनुसार निर्दिष्ट संबंधित पक्ष लेनदेन (लेन-देनों) के मामले में, इसके तहत बनाए गए लागू नियमों के साथ, संबंधित पक्ष लेनदेन के लिए बोर्ड का पूर्व अनुमोदन आवश्यक है (i) व्यवसाय के सामान्य गतिविधियों के अलावा; और/या (ii) आर्म्स लेंग्थ के आधार के अलावा, बोर्ड की बैठक में संकल्प पारित करके । इसके अलावा, संबंधित पक्षों के साथ निम्नलिखित प्रकार के लेनदेन को भी बोर्ड के अनुमोदन के लिए बोर्ड के समक्ष रखा जाना आवश्यक है:

- अधिनियम की धारा 188 में निर्दिष्ट लेन-देन के अलावा अन्य सभी लेन-देन के लिए लेखा परीक्षा समिति की सिफारिशें, और जहां लेखा परीक्षा समिति लेनदेन को मंजूरी नहीं देती है,
- संबंधित पक्ष लेनदेन जिसके लिए शेयरधारकों के अनुमोदन की आवश्यकता है।

जहां कोई निदेशक किसी भी संबंधित पक्ष लेन-देन में रुचि रखता है, ऐसा निदेशक इस तरह के लेनदेन से संबंधित प्रस्ताव पर चर्चा और मतदान में शामिल नहीं हो पाएंगे।

इस नीति के अनुसार, संबंधित पक्ष की सभी लेनदेन (लेन-देनों) के संबंध में अनुमोदन हेतु (सर्वग्राही अनुमोदन या अनुसमर्थन सहित) ईडी/ विभागाध्यक्ष जो लेनदेन को देख रहे हैं/कर रहे हैं/शुरू कर रहे हैं, वे लेखापरीक्षा समिति और/या निदेशक मंडल और शेयरधारकों के समक्ष निर्दिष्ट प्रारूप में कार्यसूची प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

v. **कंपनी के शेयरधारक:** कंपनी के शेयरधारकों का पूर्व अनुमोदन निम्नलिखित मामलों में आवश्यक होगा:

(क) सभी सामग्री से संबंधित पक्ष लेनदेन और बाद में सामग्री संशोधन; तथा

(ख) अन्य सभी संबंधित पक्ष लेन-देन, जो व्यवसाय के सामान्य गतिविधियों में नहीं हैं और/या आर्म्स लेंग्थ के आधार पर दर्ज नहीं किए गए हैं, जिनका मूल्य कंपनी (बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियां) नियम, 2014 के नियम 15 के साथ पठित अधिनियम के प्रावधानों के तहत निर्धारित सीमा से अधिक है, जैसा कि एक साधारण प्रस्ताव के माध्यम से नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	अधिनियम की धारा 188 के अनुसार लेन-देन की प्रवृति	शेयरधारकों के अनुमोदन हेतु अधिकतम सीमा
1.	प्रत्यक्ष रुप से या एजेंट की नियुक्ति के माध्यम से किसी भी सामान अथवा सामग्री की बिक्री, खरीद या आपूर्ति।	कंपनी के कारोबार का 10% या अधिक ।
2.	प्रत्यक्ष रुप से या एजेंट की नियुक्ति के माध्यम से किसी भी तरह की संपत्ति की बिक्री, निपटान या खरीद	कंपनी की कुल संपत्ति का 10% या अधिक।
3.	किसी भी तरह की संपत्ति को उधार पर देना।	कंपनी के कारोबार का 10% या अधिक।
4.	प्रत्यक्ष रुप से या एजेंट की नियुक्ति माध्यम से किसी भी सेवा का लाभ उठाना।	कंपनी के कारोबार का 10% या अधिक।
6.	ऐसी संबंधित पक्ष की किसी कार्यालय में या कंपनी में, इसकी सहायक कंपनी या सहयोगी कंपनी में लाभ के पद पर नियुक्ति।	मासिक 2.50 लाख रु से अधिक पारिश्रमिक पर।
7.	कंपनी की किसी भी सिक्योरिटीज़ या उसके डेरिवेटिव्स के सब्सक्रिप्शन की अंडरराइटिंग के लिए पारिश्रमिक	कंपनी की कुल संपत्ति के 1% से अधिक।

उपरोक्त शर्तों के स्पष्टीकरण/विशुद्धीकरण के लिए, सूचीबद्धता विनियमों/अधिनियम के प्रावधानों को संदर्भित किया जा सकता है। वार्षिक आम बैठक में सामग्री से संबंधित पक्ष लेन-देन के लिए शेयरधारकों द्वारा दी गई सर्वग्राही मंजूरी अधिनियम की धारा 96 या उसके तहत समय-समय पर जारी किए गए नियमों, अधिसूचनाओं या परिपत्रों के तहत निर्धारित समय-सीमा के भीतर आयोजित अगली वार्षिक आम बैठक की तारीख तक वैध होगी। इसके अलावा, वार्षिक आम बैठक के अलावा अन्य सामान्य बैठकों में शेयरधारकों द्वारा दी गई सामग्री से संबंधित पक्ष लेनदेन के लिए सर्वग्राही अनुमोदन के मामले में, इस तरह के सर्वव्यापी अनुमोदन की वैधता की तारीख से एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

<u>शेयरधारकों के अनुमोदन से छूट:</u>

- *होल्डिंग कंपनी और इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (कंपनियों) के बीच किए जाने वाले लेन-देन, जिनके खाते ऐसी होल्डिंग कंपनी के साथ समेकित किए जाते हैं और अनुमोदन के लिए आम बैठक में शेयरधारकों के समक्ष रखे जाते हैं.*
- *किसी अन्य सरकारी कंपनी के साथ किए गए अनुबंध या व्यवस्था.*

vi. निष्कासन (एक्सक्लूजन):

चूंकि नीचे उल्लिखित लेन-देन या व्यवस्थाओं को कंपनी के अधिनियम/सूचीबद्धता विनियमों/कानून/नीति के विभिन्न प्रावधानों के तहत विशेष रूप से निपटाया जाता है/अनुमोदित किया जाता है, इसलिए उन्हें लेखा परीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित माना जाता है और अलग से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी:

(क) कंपनी द्वारा अपने सभी कर्मचारियों को दी जाने वाली सेवाओं की शर्तों के एक भाग के रूप में निदेशकों/केएमपी को ऋण और अग्रिम।
(ख) ब्याज का भुगतान या प्राप्ति और किसी भी निवेश/ऋण आदि को करने के लिए दिए गए अनुमोदन से संबंधित कोई अन्य रिटर्न।
(ग) विभिन्न कर्मचारियों के रोजगार के बाद लाभ ट्रस्टों/योजनाओं के लिए सांविधिक योगदान का भुगतान।
(घ) समूह कंपनियों में कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति/सेकेंडमेंट।
(ङ) वास्तविक रूप में समूह की कंपनियों से/को प्रतिपूर्ति के रूप में लेन-देन।
(च) कॉर्पोरेट पुनर्गठन से जुड़े लेनदेन, जैसे शेयरों की बाय-बैक, पूंजी में कमी, विलय, डिमर्जर, हाइव-ऑफ आदि जो बोर्ड द्वारा अनुमोदित होते हैं और अधिनियम या सेबी विनियमों के विशिष्ट प्रावधानों के अनुसार किए जाते हैं।
(छ) बोर्ड द्वारा अनुमोदित समग्र सीमाओं के भीतर कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के लिए योगदान जिसके लिए सीएसआर समिति के अनुमोदन की आवश्यकता होती है; तथा
(ज) मंत्रालयों, भारत सरकार के निर्देशों के आधार पर कोई अन्य लेनदेन

vi. संबंधित पक्ष के लेन-देन के विषय में शेयरधारक, निदेशक मंडल तथा लेखा परीक्षा समिति से पूर्व अनुमोदन लेने के लिए सूचना का प्रकटन।

लेखा परीक्षा समिति और बोर्ड की बैठक की कार्यसूची और संबंधित पक्ष लेनदेन के संबंध में अनुमोदन प्राप्त करने वाले शेयरधारकों के सूचना में सेबी से दिशानिर्देशों/परिपत्रों के तहत आवश्यक जानकारी/विवरण बताई जाएंगी, जिसमें औद्योगिक मानकों, सूचीबद्धता विनियमों, अधिनियम, डीपीई दिशानिर्देशों और इस संबंध में कोई भी अन्य लागू कानून शामिल हैं।

VII. संबंधित पार्टियों के साथ उन लेन-देन का सत्यापन जो लेखापरीक्षा समिति की मंज़ूरी के बिना किए गए थे।

(क) अधिनियम के प्रावधानों, सूचीकरण विनियमों और अन्य लागू कानूनों के अधीन, असाधारण परिस्थितियों में, जहां किसी भी संबंधित पक्ष लेनदेन के संबंध में लेखापरीक्षा समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना संभव नहीं होता है, तो इसे लेखा परीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक होगा। इसके अलावा, किसी भी संबंधित पक्ष की लेन-देन की अनुसमर्थता के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय संबंधित विभाग को पूर्व स्वीकृति लिए बिना संबंधित पक्ष के साथ लेन-देन करने के लिए कार्यसूची नोट में उपयुक्त औचित्य देना होगा।

(ख) सूचीबद्धता विनियमों के अनुसार लेखापरीक्षा समिति के अनुमोदन की आवश्यकता वाले लेन-देन के मामले में, लेखापरीक्षा समिति के सदस्य, जो स्वतंत्र निदेशक हैं, लेन-देन की तारीख से तीन महीने के भीतर या लेखापरीक्षा समिति की तत्काल अगली बैठक में, जो भी पहले हो, निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित पक्ष लेनदेन की पुष्टि कर सकते हैं:

1. एक वित्तीय वर्ष के दौरान किसी संबंधित पक्ष के साथ अनुसमर्थित लेनदेन (लेन-देनों) का मूल्य, चाहे वह व्यक्तिगत रूप से किया गया हो या एक साथ लिया गया हो, एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगा;
2. लेन-देन भौतिक नहीं है
3. लेन-देन के लिए पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थता के औचित्य को अनुसमर्थन मांगते समय लेखा परीक्षा समिति के समक्ष रखा जाएगा;
4. संबंधित पक्ष लेनदेन के प्रकटीकरण के साथ अनुसमर्थन के विवरण के बारें में बताया जाएगा।
5. लेखापरीक्षा समिति द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य शर्त:

अगर लेखापरीक्षा समिति से मंजूरी नहीं ली जाती है तो लेखापरीक्षा समिति के ऑप्शन पर लेन-देन रद्द हो जाएगा और यदि लेन-देन किसी निदेशक से संबंधित पक्ष के साथ है, या किसी अन्य निदेशक द्वारा अधिकृत है, तो संबंधित निदेशक कंपनी को हुए किसी भी नुकसान की प्रतिपूर्ति करेंगे।

(ग) जहां कोई संविदा या व्यवस्था किसी निदेशक या किसी दूसरे कार्मिक द्वारा, बोर्ड की मंज़ूरी लिए बिना या आम बैठक में किसी प्रस्ताव से मंज़ूरी लिए बिना किया जाता है, और अगर बोर्ड या, जैसा भी हो, शेयरहोल्डर्स द्वारा, संविदा या व्यवस्था किए जाने की तारीख से तीन महीने के भीतर बैठक में इसकी पुष्टि नहीं की जाती है, तो इस तरह की संविदा या व्यवस्था बोर्ड या, जैसा भी हो, शेयरहोल्डर्स के ऑप्शन पर रद्द किया जा सकेगा, और अगर संविदा या व्यवस्था किसी निदेशक की संबंधी पक्ष के साथ है या किसी अन्य निदेशक द्वारा प्राधिकृत की गई है, तो संबंधित निदेशकगण कंपनी को हुए किसी भी नुकसान की प्रतिपूर्ति करेंगे।

VIII. प्रकटन

1. धारा 188 के अनुरुप बोर्ड / शेयरधारकों की स्वीकृति सहित संबंधित पक्ष के साथ की गई प्रत्येक संविदा या व्यवस्था को इस तरह की संविदाओं और व्यवस्थाओं के लिए समुचित औचित्य सहित शेयरधारकों को बोर्ड रिपोर्ट में संदर्भित किया जाएगा। संबंधित पार्टियों के साथ संविदाओं या व्यवस्थाओं के विवरण कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8(4) के साथ वर्णित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एच) के उपबंधों के अनुसार, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए फार्म एओसी-2 में कंपनी के बोर्ड रिपोर्ट में प्रकटन किए जाएंगे।
2. संबंधित पक्ष के साथ सभी आवश्यक लेन-देन के का प्रकटन कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर अनुपालन रिपोर्ट के साथ तिमाही आधार पर स्टॉक एक्सचेंज को भेजने के लिए किया जाएगा।
3. संशोधित सूचीबद्धता विनियमों के अनुसार, कंपनी अपने स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय परिणामों के प्रकाशन की तारीख से प्रत्येक छह महीने में, सेबी द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट प्रारूप में संबंधित पक्ष लेनदेन के प्रकटीकरण स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत करेगी और इसे अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगी। इसके अलावा, उक्त प्रकटीकरण को छमाही आधार पर लेखा परीक्षा समिति और निदेशक मंडल द्वारा समीक्षा के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।
4. इस नीति का प्रकटन कंपनी की वेबसाइट पर किया जाएगा और वार्षिक रिपोर्ट में इसके लिए एक वेबलिंक भी उपलब्ध कराई जाएगी।

IX. समीक्षा अधिकार

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक (वित्त) इस नीति में संशोधनों को मंजूरी देने के लिए अलग-अलग प्राधिकृत हैं, जो कानून के लागू/संशोधित प्रावधानों का पालन करने या नियामक/सांविधिक/प्रशासनिक प्राधिकरणों द्वारा जारी किए गए किसी भी निर्देश, परिपत्र आदि का पालन करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं और ऐसे परिवर्तनों का विवरण लेखा परीक्षा समिति और निदेशक मंडल के समक्ष उनकी जानकारी के लिए रखा जाएगा।

संशोधन प्रस्ताव जो ऊपर शामिल नहीं है, कंपनी के निदेशक मंडल के अनुमोदन के अधीन होगा। इसके अलावा, निदेशक मंडल हर तीन साल या किसी अन्य अवधि में कम से कम एक बार इस नीति की समीक्षा करेगा, जैसा कि सूचीबद्धता विनियमों में निर्दिष्ट/संशोधित किया जा सकता है।

X. स्पष्टीकरण

कंपनी सचिव, सीएमडी के अनुमोदन से, यदि आवश्यक हो, तो इस नीति के किसी भी खंड पर कोई स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए प्राधिकृत है।

XI. अस्वीकरण

इस नीति, अधिनियम और सूचीकरण विनियमों या उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम या विनियमों के बीच या कानून के किसी अन्य लागू वैधानिक अधिनियमन के तहत किसी भी विसंगति के मामले में, अधिनियमित कानून/नियम/विनियम/प्रावधान इस नीति पर प्रभावी होगा।। सूचीबद्धता विनियमों, अधिनियम और/या इस संबंध में लागू कानून में कोई भी बदलाव/संशोधन स्वचालित रूप से इस नीति पर लागू होगा।

*****